अतिआवश्यक

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर–492002

————00————

क्रमांक/2360/2020/वा.क.(आब.)/पांच, नवा रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रति

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :–नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का पत्र क्रमांक 2341/2020/वा.क.(आब.)/पांच, दिनांक 28.06.2020

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ संदर्भित पत्र के माध्यम से नोवल कोरोना वायरस (COVID - 19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **समस्त रेस्टोरेन्ट/होटल बार** को **दिनांक 05.07.2020 तक** बंद करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पत्र क्रमांक 334/स.सा.प्र.वित्र./2020, दिनांक 25.06.2020 के द्वारा रेस्टोरेंट, होटल संचालन हेतु अनुमति दी गई है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुक्रम में स्पष्ट किया जाता है कि रेस्टोरेंट बार/होटल बार में स्थित केवल **बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को दिनांक 05.07.2020 तक** बंद रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

29-06-2020
(मरियानुस तिग्गा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग

पृ.क्र/2361/2020/वा.क.(आब.)/पांच, नवा रायपुर, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायुपर।
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
7. संचालक, जन–सम्पर्क, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर।

8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
10. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर।
11. तकनीकी संचालक, एन. आई. सी., आबकारी भवन, रायपुर।
12. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर।
13. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़।
14. उपायुक्त आबकारी जिला–रायपुर / सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–दुर्ग / राजनांदगांव / बिलासपुर / कोरबा / जांजगीर चांपा / रायगढ़, ***एवं***
15. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ।
16. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ (आसवनी)।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

mti 889
29-06-2020

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग